सं. 28035/2/2014-स्था.(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 10th जून, 2019

## कार्यालय ज्ञापन

**विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत शामिल 31.12.2003 के पश्चात नियुक्त किए गए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के त्याग-पत्र को वापस लेने के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 'सेवा से त्याग-पत्र' के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में अनुदेश गृह मंत्रालय के दिनांक 06.05.1958 के का.ज्ञा.सं. 39/6/57-स्था.(क), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.02.1988 के का.ज्ञा.सं. 28034/25/87-स्था.(क), दिनांक 31.05.1994 के का.ज्ञा.सं. 28034/4/94-स्था.(क) और दिनांक 04.12.2007 के का.ज्ञा.सं. 28035/2/2007-स्था.(क) के माध्यम से जारी किए गए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.02.1988 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन का पैरा 5 केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26(4) से (6) द्वारा यथा अधिशासित त्याग-पत्र वापस लेने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। मंत्रालयों/विभागों से 31.12.2003 के पश्चात नियुक्त सरकारी सेवकों द्वारा त्याग-पत्र के वापस लेने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिन पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 लागू नहीं होती है। 31.12.2003 के पश्चात नियुक्त केन्द्रीय सिविल सेवाओं/पदों के सरकारी कर्मचारियों के त्याग-पत्र को वापस लेने के मामले पर विभाग में विचार किया गया जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत शामिल है और जिन पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 लागू नहीं होती है तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त सरकारी सेवकों के त्याग-पत्र को वापस लेने के अनुरोध पर विचार करते समय निम्नलिखित अनुदेशों/निर्देशों का पालन किया जाए।

2. नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्ति को अपना त्याग-पत्र लोकहित में निम्नलिखित शर्तों पर वापस लेने की अनुमति दे सकता है, अर्थात्:

(क) कि सरकारी सेवक द्वारा अपना त्याग-पत्र कुछ बाध्यकारी कारणों से दिया था जिसमें उसकी सत्यनिष्ठा, दक्षता अथवा आचरण के संबंध में कोई संदेह नहीं था और त्याग-पत्र वापस लेने के लिए अनुरोध उन परिस्थितियों में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप किया गया है जिन्होंने उसे मूलरूप से त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य किया था;

(ख) कि, वह तारीख जिस दिन त्याग-पत्र प्रभावी हुआ था और वह तारीख जिस दिन से त्याग-पत्र वापिस लेने का अनुरोध किया गया था, के बीच की अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति के आचरण में किसी भी प्रकार से अनुचित व्यवहार नहीं रहा था;

(ग) कि, वह तारीख जिस दिन त्याग-पत्र प्रभावी हुआ था और वह तारीख जिस दिन व्यक्ति को त्याग-पत्र वापिस लेने के लिए अनुमति दिए जाने के फलस्वरूप उसे अपनी ड्यूटी पुन:आरंभ करने की अनुमति दी गई है, के बीच ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अवधि नब्बे दिनों से अधिक नहीं हो;

(घ) कि, वह पद, जो सरकारी सेवक द्वारा अपने त्याग-पत्र के स्वीकार किए जाने पर रिक्त किया गया था अथवा अन्य कोई समतुल्य पद, उपलब्ध हो।

3. नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के अनुरोध को ऐसे मामले में स्वीकार नहीं किया जाएगा जहां सरकारी सेवक निजी वाणिज्यिक कम्पनी के अधीन या सरकार के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले निगम या कम्पनी में अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित निकाय में नियुक्त होने के मद्देनजर अपनी सेवा या पद से त्याग पत्र देता है।

4. जब नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को त्यागपत्र वापस लेने और पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति के आशय का आदेश जारी किया जाता है तो उस आदेश को सेवा में अंतराल की छूट प्रदान करने वाला माना जाएगा।

5. त्यागपत्र प्रभावी होने की उस तारीख अर्थात् जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकृत कर लिया जाता है और सरकारी सेवक अपने कर्तव्यों से मुक्त होता है, के 90 दिन के भीतर एनपीएस निधि से किसी आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, उक्त शर्त सरकारी सेवक के त्यागपत्र प्रभावी होने के पश्चात् उसकी मृत्यु होने की स्थिति में लागू नहीं होगी।

6. अस्थायी सरकारी सेवकों के लिए त्यागपत्र वापस लेने का प्रावधान लागू नहीं होगा।

7. उपर्युक्त दिशानिर्देश/अनुदेश 31.12.2003 के बाद केन्द्रीय सिविल सेवा/पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों के लिए ही लागू होगें, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अधीन शामिल होते हैं और जिनके लिए सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त ये दिशानिर्देश/अनुदेश तब तक ही लागू रहेगें जब तक ऐसे सरकारी सेवकों के लिए त्यागपत्र वापस लेने संबंधी सांविधिक नियम अधिसूचित नहीं हो जाता है।

8. यह कार्यालय ज्ञापन भविष्य से प्रभावी होगा और पहले से निपटाए गए मामलों को पुनः उठाया नहीं जाएगा।

9. इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय से परामर्श करके जारी किया जाता है।

10. यह अनुरोध किया जाता है कि इस कार्यालय ज्ञापन के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

**(कबीन्द्र जोशी)**
**निदेशक**

**भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग**
**(मानक सूची के अनुसार)**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषितः**

1) महासचिव/महापंजीयंक, भारत का उच्चतम न्यायालय।
2) लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय के महासचिव।
3) राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडलसचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/नीति आयोग में सचिव।
4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
5) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/लोक उद्यम चयन बोर्ड के सभी अधिकारी/अनुभाग।
6) निदेशक, एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अधिसूचनाएं/कार्यालय ज्ञापन एवं आदेश-स्थापना-पंजीकरण के अंतर्गत इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7) 10 अतिरिक्त प्रतियां।

**(कबीन्द्र जोशी)**
**निदेशक**